सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 11, गुरूवार, *शाके* 1943–अप्रेल 01, 2021 *Chaitra 11, Thursday, Saka 1943- April 01, 2021*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 30, 2021

संख्या प.11(2)**नविवि/पाली**/2015 :-राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के तहत नोटिस दिया जाता है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02.09.2004 द्वारा अनुमोदित पाली मास्टर प्लान 2023 में अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान जयपुर द्वारा इस अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27.08.2018 के द्वारा मास्टर प्लान के भू-उपयोग योजना मानचित्र 2023 में प्रस्तावित संशोधनों को अनुमोदित कर दिया गया है। अतः पाली मास्टर प्लान 2023 में घुमटी से पणिहारी चैराहे तक प्रस्तावित 60 मीटर चोड़ी बाईपास सडक एवं इसके दोनो ओर प्रस्तावित 30 मीटर चोड़ी वृक्षारोपण पट्टी को विलोपित करते हए इसका भू-उपयोग परिधि नियंत्रण पट्टी निर्धारित करते हुए एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नवनिर्मित 60 मीटर चोड़ा बाईपास को समायोजित करते हुए नगरीकरण योग्य क्षेत्र के बाहर इसके दोनो ओर 30 मीटर चोड़ी वृक्षारोपण पट्टी रखते हुए संशोधन एतद्द्वार अनुमोदित किया जाता है।

पाली मास्टर प्लान 2023 की प्रति पर उक्त संशोधनों का निरीक्षण नगर विकास न्यास, पाली में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

त्रिभुवनपति,
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय।

3470

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।